FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0193 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/07/2026 14:49 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/07/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/07/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/07/2026 14:49:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 1.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** CHAUBURJA CHAURAHA SAHAR, BHARTPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ROSHAN LAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NEKSING

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DEVRI, ROOPBAS, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DEVRI, ROOPBAS, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DIGAMBAR SINGH		पिता:SHIVRAM SINGH	1. WAJIDPURA,BHARATPUR,RAJ
2	PRADEEP SINGH		पिता:BHOMPAL SINGH	1. KHANKHERA,BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूेारो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं रोशनलाल पुत्र श्री नेक सिंह उम्र 38 साल जाति जाटव निवासी गांव देवरी पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर का रहने वाला हूं। मैने मेरे खसरा नम्बर 425/0.48, 426/0.36 की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार रूपवास को लगाया था। उक्त नाप से मै सन्तुष्ट नही हुआ तो मैने एक प्रार्थना पत्र पुनः तहसीलदार रूपवास को भूप्रबन्धन कार्यालय भरतपुर द्वारा ईटीएस मशीन द्वारा नाप कराने हेतु आदेश के लिए दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर भूप्रबन्धन कार्यालय द्वारा सीमांकन शुल्क 5000/- रूपये जमा कराने के लिए पत्र प्राप्त हुआ जो मैने जमा जरिये चालान करवाये थे जिस पर एक टीम गठित की गयी। टीम के सदस्य श्री दिगम्बर सिंह पटवारी व प्रदीप सिंह पटवारी नाप करने के बाद निशान लगाने के 50,000/- हजार रूपये रिश्वत की मांग कर बार बार परेशान कर रहे हैं। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं। मेरी उक्त कर्मचारियों से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन देन बकाया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। प्राथी एसडी रोशनलाल, नाम रोशन लाल पुत्र नेकसिंह गांव देवरी रूपवास जिला भरतपुर मो0नं0 एसडी महेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर 07.07.26, एसडी देवेश कुमार 10.07.26 एसडी विनीत कुमार 10.07.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 07.07.26 को समय 12.20 पीएम. पर परिवादी श्री रोशनलाल पुत्र श्री नेक सिंह उम्र 38 साल जाति जाटव निवासी गांव देवरी पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड व दस्तावेजों की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को इस आशय की पेश की कि मैने मेरे खसरा नम्बर 425/0.48, 426/0.36 की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार रूपवास को लगाया था। उक्त नाप से मै सन्तुष्ट नही हुआ तो मैने एक प्रार्थना पत्र पुनः तहसीलदार रूपवास को भूप्रबन्धन कार्यालय भरतपुर द्वारा ईटीएस मशीन द्वारा नाप कराने हेतु आदेश के लिए दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर भूप्रबन्धन कार्यालय द्वारा सीमांकन शुल्क 5000/- रूपये जमा कराने के लिए पत्र प्राप्त हुआ जो मैने जमा जरिये चालान करवाये थे जिस पर एक टीम गठित की गयी। टीम के सदस्य श्री दिगम्बर सिंह पटवारी व प्रदीप सिंह पटवारी नाप करने के बाद निशान लगाने के 50,000/- हजार रूपये रिश्वत की मांग कर बार बार परेशान कर रहे हैं। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं। मेरी उक्त कर्मचारियों से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेन देन बकाया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि कार्यवाही कराने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री परसराम कानि नं.203 से निकलवाकर नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री रोशनलाल को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि नं.203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री रोशनलाल को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी व श्री परसराम कानि. को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल कार्यालय भूप्रबन्ध भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.00 पीएम पर श्री परसराम कानि. मय परिवादी श्री रोशनलाल के उपस्थित कार्यालय आया। श्री परसराम कानि. से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द हालात में प्राप्त किया गया तथा परिवादी रोशनलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व परसराम कानि. मेरी निजी मोटरसाईकिल से आपके कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय भूप्रबन्ध भरतपुर के पास पंहुचे जंहा परसराम कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मैने अपने मोबाईल से श्री प्रदीप पटवारी को कॉल किया तो उन्होने मुझे पास में ही स्थित अपने किराये के कमरे पर बुलाया तो मै व परसराम कानि. मेरी निजी मोटरसाईकिल से शर्मा पेटीज के पास पहुंचे जंहा पर परसराम कानि. वंही रूक गये थे इसके बाद मै मोटरसाईकिल लेकर प्रदीप पटवारी के किराये के कमरे पर पंहुचा तो वंहा पर प्रदीप पटवारी उपस्थित मिला जिसने

कॉल कर दिगम्बर पटवारी को भी बुला लिया था। मेरी प्रदीप पटवारी व दिगम्बर पटवारी से रिश्वत के संबध में वार्तालाप हो गई है जिन्होने मेरे से 50,000/-रूपये रिश्वत की मांग कर 30,000/- रूपये लेने पर सहमत हो गये है। मैने उक्त पटवारीगणों को रिश्वत राशि दो तीन दिन बाद देने के लिए कहा है। मैने पटवारी के कमरे से बाहर आकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू हालात में परसराम कानि. को सुपुर्द कर दिया जिसे परसराम कानि. ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया । उक्त सारी वार्तालाप मैने परसराम कानि. को बताई थी। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परसराम कानि. से पूछने पर परिवादी की बातों को ताईद की। श्री परसराम कानि नं. 203 से प्राप्त शुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता होना पायी गयी। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री रोशनलाल को रिश्वत राशि की व्यवस्था करने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 10.07.26 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री रोशनलाल को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित कार्यालय आया जिसे गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 11.25 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर उपायुक्त कर भवन के पदनाम तहरीर जारी कर श्री परसराम कानि.नं.-203 को वास्ते लाने स्वतंत्र गवाह कर भवन भरतपुर रवाना करने पर समय 12.10 पीएम पर श्री परसराम कानि. दो स्वतंत्र गवाह श्री देवेश कुमार व श्री विनीत कुमार गोयल को लेकर उपस्थित कार्यालय आया उक्त गवाहान को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम क्रमशः श्री देवेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी गांव बिरहरू पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग हाल वरिष्ठ सहायक वाणिज्यिक कर विभाग ,भरतपुर एवं श्री विनीत कुमार गोयल पुत्र श्री केदार नाथ जाति वैश्य उम्र 47 साल निवासी तिलक नगर हीरादास भरतपुर पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग ,भरतपुर होना बताया जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रोशनलाल से आपस में परिचय करवाकर ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए एवं परिवादी द्वारा दिनांक 07.07.26 को पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट को दोनों गवाहों को पढने को दी गई एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति ली गई तो दोनो गवाहों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 12.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री रोशनलाल पुत्र श्री नेक सिंह उम्र 38 साल जाति जाटव निवासी गांव देवरी पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर से आरोपीगण प्रदीप सिंह पटवारी एवं दिगम्बर सिंह पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 60 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 30,000/-(तीस हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये नोटो के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रवि कुमार हैडकानि. नं.52 से कार्यालय का मालखाना खुलवाकर श्री मेघसिंह कानि नं. 128 से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री मेघसिंह कानि से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री रोशनलाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विनीत कुमार गोयल से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 30,000/-रूपये के नोटों को श्री मेघसिंह कानि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री देवेश कुमार से ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकालकर कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से उसमें साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री मेघसिंह कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को रोड के साइड में फिकवाया गया व काम में लिये गये कागज व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री मेघसिंह कानि द्वारा मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन

पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टेªप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री मेघसिंह कानि नं. 128 को एसीबी कार्यालय भरतपुर में ही छोडा गया। फर्द पेशकशी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रोशनलाल मय श्री परसराम कानि. नं. 203 को परिवादी की निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री रीतराम सिंह सउनि मय श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 को प्राइवेट मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री विनोद सिंह कानि. नं. 114 मय श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 को भी प्राइवेट मोटरसाइकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610 मय श्री गोकुलेश कानि.नं. 454 मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय विभागीय वीडियो कैमरा व अन्य साजो सामान के ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भूप्रबंध विभाग भरतपुर रवाना होकर कार्यालय भूप्रबंध विभाग भरतपुर के पास पहुंचा कुछ समय पश्चात समय 01.26 पी.एम. पर परिवादी के मोबाइल नम्बर से आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी के मोबाइल नम्बर पर कॉल करवाया गया तथा कॉल को लाउड स्पीकर पर करके विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मोबाइल वार्ता में आरोपी ने अपने आप को भरतपुर से बाहर जटमांसी गांव होना बताया एवं रिश्वत सम्बंधी एवं किसी अन्य व्यक्ति को रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु भेजने के लिए कहा। तत्पश्चात समय 01.29 पी.एम. पर आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी का उक्त मोबाइल नम्बर से ही परिवादी के उक्त मोबाइल नम्बर पर कॉल आया और बताया कि मैं दिगम्बर सिंह पटवारी को आपके पास भेज रहा हूं एवं परिवादी ने अपने आप को जनाना हॉस्पीटल होना बताया उक्त कॉल को भी लाउड स्पीकर पर करके विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता मय प्राइवेट वाहनों के मौके से रवाना होकर जनाना हॉस्पीटल के पास पंहुचा तत्पश्चात समय 01.34 पी.एम. पर परिवादी के मोबाइल नम्बर से आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी के मोबाइल नम्बर पर कॉल करवाया गया तथा कॉल को लाउड स्पीकर पर करके विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया उक्त वार्ता में परिवादी ने आरोपी दिगम्बर सिंह से आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी से वार्ता के सम्बंध में पूछा और अपने आप को जनाना हॉस्पीटल में होना बताया। तत्पश्चात समय 01.35 पी.एम. पर आरोपी दिगम्बर सिंह के उक्त मोबाइल नम्बर से परिवादी के उक्त मोबाइल नम्बर पर कॉल आया और आरोपी दिगम्बर सिंह ने परिवादी को रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु चौबुर्जा चौराहा भरतपुर पर बुलाया। उक्त कॉल को भी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता मय प्राइवेट वाहनों के मौके से रवाना होकर चौबुर्जा चौराहा पहुंचा जहां वाहनों को साइड में खडा करवाकर परिवादी को आरोपी दिगम्बर सिंह के इंतजार में चौबुर्जा चौराहे पर मामा ज्यूस की दुकान के पास छोड दिया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही गवाहान एवं जाब्ता के अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मामा ज्यूस की दुकान के आस पास ही मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय 01.50 पी.एम. पर परिवादी श्री रोशन लाल के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता , मय स्वतंत्र गवाहान के चौबुर्जा चौराहा भरतपुर पर स्थित मामा ज्यूस सेन्टर पर पहुंचा तो परिवादी श्री रोशन लाल को पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा । तत्पश्चात परिवादी श्री रोशनलाल ने बताया कि ज्यूस की दुकान पर टोपी लगाए हुए जो व्यक्ति खडा हुआ है यही दिगम्बर सिंह पटवारी है जिसने अभी-अभी मुझसे 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेकर अपने पहने हुए जींस के पेंट की पीछे की दाहिने जेब में रख लिए हैं आदि पर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर ज्यूस की दुकान पर खडे हुए व्यक्ति को डिटेन कर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिगम्बर सिंह पुत्र श्री शिवराम सिंह उम्र 31 साल जाति गुर्जर निवासी बाजीदपुरा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर होना बताया। आरोपी से परिवादी श्री रोशनलाल से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो आरोपी दिगम्बरसिंह ने अपने पहने हुए जींस के पेंट की दाहिने तरफ की पीछे की जेब में रखा होना बताया। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री विनीत कुमार गोयल से आरोपी की जेब से निकलवाकर गिनवाकर एवं पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो मिलान होना पाया गया तत्पश्चात रिश्वत राशि को सुरक्षित उक्त गवाह के पास ही रखवाया गया। आरोपी दिगम्बर सिंह से रिश्वत राशि के बारे में पुनः पूछने पर बताया कि उक्त रिश्वत राशि मैंने पटवारी प्रदीप सिंह के कहने पर ली है एवं मैं दिनांक 07.07.2026 को भी प्रदीप सिंह पटवारी के कमरे पर परिवादी से मिला था। आदि पर आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी से प्रदीप सिंह पटवारी के लिए रिश्वत राशि कन्फरमेशन कॉल करने के लिए कहा गया तो आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी स्वेच्छा से तैयार हो गया तत्पश्चात डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर आरोपी पटवारी दिगम्बर सिंह के मोबाइल नम्बर से प्रदीप पटवारी के मोबाइल नम्बर पर समय 2.00 पी.एम. पर कॉल करवाया गया तो आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी ने रिश्वत राशि प्राप्त होने के सम्बन्ध में बताया तो पटवारी प्रदीप ने ठीक है कहकर अपनी सहमति जाहिर की और बताया कि मैं जटमांसी गांव में जमीन की पैमाइश कर रहा हूं। इसके बाद श्री रवि कुमार हैड कानि.नं. 58 को जरिए टेलीफोन निर्देशित किया गया कि आप सरकारी बोलेरो मय चालक मय जाब्ता के आरोपी पटवारी प्रदीप सिंह को डिटेन करने हेतु रवाना होंवे।

तत्पश्चात मौके पर भीडभाड होने की वजह एवं कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त जगह व उचित स्थान नही होने से आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी को प्राइवेट कार में बिठाकर मय स्वतंत्र गवाह मय ट्रेप टीम को अपनी-अपनी निजी मोटरसाइकिलों से मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचकर विभागीय वीडियो कैमरा से वीडियोग्राफी चालू कर परिवादी व आरोपी से रिश्वत के सम्बंध में पूछताछ कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए स्वतंत्र गवाह श्री देवेश कुमार से ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी दो डिस्पोजल गिलासों को निकलवाकर कार्यालय में रखे कैम्पर में से साफ पानी मगवा कर दो गिलासों को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री देवेश कुमार से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर दोनो गिलासों के घोल में आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी के क्रमशः दांये हाथ एवं बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी व गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर चार कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर क्रमशः मार्क आर एच-1 व आर एच-2 एवं एल.एच -1 व एल.एच.-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलासों को नष्ट किया गया तत्पश्चात पुनः गवाह श्री देवेश कुमार से टेªप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी के पहने हुए जींस पेंट को ससम्मान उतरवाकर एवं तौलिया पहनवाकर जींस पेंट की पीछे की दांयी जेब को उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया तथा पैंट को सुखवाकर दांहिने जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकार पैंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर मार्क पीपी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विनीत कुमार गोयल के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 30,000/- रूपये के नम्बरों को पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाए गये जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया गया। नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी से परिवादी एवं परिवादी के परिवारजनों से सम्बंधित कृषि भूमि की नाप व निशांदेही से सम्बधित पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी ने परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली को भू प्रबंध कार्यालय में होना बताया। आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व जींस पेंट धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी सरकारी विडियो कैमरा से श्री गोकुलेश कानि0 द्वारा कराई गई। जिसकी सीडी/ पेनड्राइव पृथक से तैयार की जावेगी। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.45 पी.एम. पर श्री रवि कुमार हैडकानि. नं. 52 मय श्री सुशील कुमार कानि. 557 , श्री यशपाल सिंह कानि. मय सरकारी गाडी बोलेरा चालक विजयसिंह मय एक व्यक्ति के उपस्थित कार्यालय आया। श्री रवि कुमार हैडकानि. ने साथ आये व्यक्ति को आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी होना बताया जाकर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं मय जाब्ता मय सरकारी गाडी के चौकी से रवाना होकर गांव जटमासी पुलिस थाना रूपवास पहुंचा जहां पर मालूमात कर प्रदीप सिंह पटवारी को आपके दिये गये निर्दशानुसार कार्यवाही से अवगत कराकर डिटेन कर मौके से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया हूं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने हैडकानि. के साथ आये व्यक्ति को अपना व कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप सिंह पुत्र श्री भोमपाल सिंह उम्र 43 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम खानखेडा पुलिस थाना बयाना सदर जिला भरतपुर हाल पटवारी भू प्रबंध कार्यालय जिला भरतपुर होना बताया। तत्पश्चात आरोपी प्रदीप सिंह से रिश्वत राशि 30,000 रूपये के सम्बंध में पूछा तो बताया कि परिवादी श्री रोशन लाल ने मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल किया था तो मैने परिवादी को बताया कि मैं तो पैमाइश करने जटमांसी आया हूं। मैं आपके पास दिगम्बर सिंह पटवारी को भेजता हूं। जो कुछ भी हो उनसे ही बात करके कर लेना इसके बाद मैंने मेरे साथी पटवारी श्री दिगम्बर सिंह को कॉल कर रोशन लाल के भरतपुर आने की एवं उससे मिलने की कहा था और मैंने कोई रिश्वत राशि के लिए नही कहा था। इस पर पास में खडे परिवादी ने रोशन लाल ने आरोपी की बातो का खंडन करते हुए कहा कि प्रदीप पटवारी जी झूंठ बोल रहे हैं इनके द्वारा मुझे मेरी व मेरे परिवारजनों की कृषि भूमि की निशानदेही करने के लिए 50,000 रूपये मांग कर परेशान किया जा रहा था जिसकी शिकायत मैंने दिनांक 07.07.2026 को आपके कार्यालय में आकर की थी जिस पर आपके द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया सत्यापन में प्रदीप जी व दिगम्बरजी पटवारी ने मेरे से 50,000 रूपये की

मांग की थी मेरे निवेदन करने पर उक्त दोनों मेरे से 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हो गये थे। आज दिनांक को श्री दिगम्बर सिंह पटवारी ने मामा ज्यूस चौबुर्जा भरतपुर पर प्रदीप जी के कहने पर रिश्वत राशि 30,000 रूपये प्राप्त किये थे। आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी द्वारा परिवादी श्री रोशनलाल से उसकी व उसके परिवारजनों की कृषि भूमि की निशानदेही करने के एवज में 50,000 रूपये मांग करना व परिवादी के निवेदन करने पर 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं अपने साथी कर्मचारी दिगम्बर सिंह को परिवादी के पास भेजकर रिश्वत राशि 30,000 रूपये प्राप्त कराने का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी को जरिए फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। तत्पश्चात दोनों आरोपीगणों से परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली के सम्बंध में पूछा तो आरोपीगणों ने बताया कि उक्त पत्रावली कार्यालय भू प्रबंध विभाग भरतपुर की आलमारी में रखी हुई है। तत्पश्चात धोवन की शील्ड शीशियां , शील्ड रिश्वत राशि 30,000 रूपये एवं शील्ड पेंट पैकिट को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि. दुरूस्त की जाकर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात समय 06.05 पी. एम. पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दोनों आरोपीगण प्रदीप सिंह पटवारी के किराये के आवास एवं दिगम्बर सिंह पटवारी के रिहायशी आवास की खानातलाशी ली जानी है जिसके लिए आरोपी प्रदीपसिंह पटवारी की मौजूदगी आवश्यक है जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी प्रदीप सिंह को खाना तलाशी हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिटेनशुदा आरोपी को सुपुर्द किया गया तत्पश्चात समय 06.40 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में परिवादी के पैण्डिंग कार्य की पत्रावली के सम्बंध में मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विनोद सिंह कानि. , रितेश कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी मय प्राइवेट गाडी के नक्शा मौका घटनास्थल व परिवादी के कार्य से सम्बंधित पत्रावली के लिए भू प्रबंध विभाग भरतपुर रवाना होकर भू प्रबंध विभाग भरतपुर पहुंचा जहां श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह ने आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी को मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया तत्पश्चात भू प्रबंध कार्यालय में उपस्थित श्री अजय कुमार पांडे तहसीलदार व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपीगण ने अपने कार्य करने के कक्ष की आलमारी से एक पत्रावली निकाल कर पेश की उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में 01 लगायत 29 पेज हैं उक्त पत्रावली को श्री अजय कुमार पांडे तहसीलदार को सुपुर्द कर हिदायत दी कि आप उक्त पत्रावली को लेकर शीघ्र ही एसीबी कार्यालय पहुंचे। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विनोद सिंह कानि. , रितेश कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपीगण मय परिवादी मय प्राइवेट गाडी के मौके से रवाना होकर समय 07.05 पी.एम. पर घटनास्थल पहुंचा जहां पर परिवादी की निशादेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका कशीद किया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07.20 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय श्री विनोद सिंह कानि. , रितेश कुमार कानि. मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपीगण मय परिवादी मय प्राइवेट गाडी के मौके से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचा तत्पश्चात समय 07.45 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष श्री अजय कुमार पांडे तहसीलदार (सहायक भू प्रबंध अधिकारी) कार्यालय भू प्रबंध विभाग भरतपुर ने परिवादी श्री रोशनलाल के कार्य से सम्बंधित एक पत्रावली पेश की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में 01 लगायत 29 पेज हैं। पत्रावली के कवर पृष्ठ पर सीमाज्ञान भरतपुर माह जून 2025 लिखा हुआ है। पत्रावली के पेज सं. 02 पर कार्यालय भू प्रबंध अधिकारी भरतपुर का सर्वरक है जिस पर प्रकरण सं. 17/06125, ग्राम व तहसील- देवरी तह.रूपवास , खसरा नम्बंर 425,426 व परिवादी का नाम रोशन लाल पुत्र नेकसिंह अंकित है। पत्रावली में कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर , भू प्रबंधन अधिकारी भरतपुर, तहसीलदार रूपवास , परिवादी नेकसिंह द्वारा ईटीएस मशीन द्वारा पैमाइश कराने बाबत प्रार्थना पत्र एवं पैमाइश से सम्बंधित अन्य दस्तावेज लगे हुए है। पत्रावली के पेज सं. 26 पर आरोपी प्रदीप सिंह एवं दिगम्बर सिंह द्वारा जारी सुपरइम्पोज नक्शा एवं ईटीएस मशीन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण अंकित है। तथा पेज सं. 27, 28, 29 पर ग्राम देवरी के खसरा नं. 425 व 426 के सीमाज्ञान बाबत सुपर इम्पोज नक्शा बना हुआ है। उक्त पत्रावली पर प्रकरण हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली के प्रथम पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाकर पत्रावली की छायाप्रति कराई जाकर छायाप्रति पत्रावली को श्री अजय कुमार पांडे तहसीलदार (सहायक भू प्रबंध अधिकारी) कार्यालय भू प्रबंध विभाग भरतपुर से प्रमाणित कराकर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पेज पर सम्ंबंधित के हस्ताक्षर कराए गये। मूल पत्रावली को श्री अजय कुमार पांडे तहसीलदार (सहायक भू प्रबंध अधिकारी) कार्यालय भू प्रबंध विभाग भरतपुर को सुपुर्द कर परिवादी श्री रोशनलाल के वैद्य कार्य को करने की हिदायत दी गई। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यवाही में आरोपी दिगम्बर सिंह पुत्र श्री शिवराम सिंह उम्र 31 साल जाति गुर्जर निवासी बाजीदपुरा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल पटवारी भू प्रबंध कार्यालय जिला भरतपुर को कारणों , कारित अपराध एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यवाही में आरोपी प्रदीप सिंह पुत्र श्री भोमपाल सिंह उम्र 43 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम खानखेडा पुलिस थाना बयाना सदर जिला भरतपुर हाल पटवारी भू प्रबंध कार्यालय जिला भरतपुर को कारणों , कारित

अपराध एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.55 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.07.26 के मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर एवं वाईस रिकार्डर में से लेनदेन वार्ता के मेमोरी कार्ड को निकालकर उसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद परिवादी श्री रोशनलाल एवं आरोपीगण दिगम्बर सिंह पटवारी एवं प्रदीप सिंह पटवारी भू प्रबंध विभाग भरतपुर के मध्य हुइ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.07.2026 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री परसराम कानि. से तैयार करवाया गया। उक्त वार्ता की चार सीडी श्री दुष्यंत सिंह सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवाई गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ ए ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ एम ” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय दिनांक 11.07.26 को समय 03.05 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 07.07.26 को आरोपी पटवारीगण व परिवादी रोशनलाल के मध्य हुई वार्ता है, उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया एवं परिवादी श्री रोशनलाल को कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुबह 09.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया । डिजीटल वाईस रिकार्डर व लेनदेन वार्ता के मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 09.20 ए.एम. पर पूर्व से पाबंदषुदा दोना स्वतंत्र गवाहान देवेश कुमार एवं विनीत कुमार गोयल उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम. पर डिजीटल वाईस रिकार्डर व रिश्वत लेनदेन वार्ता व मोबाइल वार्ता दिनांक 10.07.26 के मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकालकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.40 ए.एम. पर परिवादी श्री रोशनलाल एवं आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी भू प्रबंध विभाग भरतपुर के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता व परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दोनों आरोपियों के मध्य हुई मोबाईल वार्ता दिनांक 10.07.2026 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री परसराम कानि. से तैयार करवाया गया। उक्त वार्ता की चार सीडी श्री दुष्यंत सिंह सहायक प्रोग्रामर से तैयार करवाई गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ बी ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ एम-1 ” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.20 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता व मोबाईल वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 10.07.26 को आरोपी पटवारीगण व परिवादी रोशनलाल के मध्य हुई वार्ता है, उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही

श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व जीन्स पेंट धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की चार सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर मूल प्रति एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को सफेद कपडे की थैलियों में अलग- अलग रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडियों को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 11.55 ए.एम. पर बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सीलड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 81 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री विनीत कुमार गोयल को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपीगण श्री प्रदीप सिंह पटवारी एवं श्री दिगम्बर सिंह पटवारी कार्यालय भू प्रबंध विभाग भरतपुर द्वारा परिवादी श्री रोशनलाल पुत्र श्री नेकसिंह जाति जाटव निवासी देवरी पुलिस थाना रूपवास जिला भरतपुर से परिवादी व उसके परिवारजनों के नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 425 , 426 की ईटीएस मशीन द्वारा नाप करने के उपरांत उक्त भूमि पर निशानदेही करने की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं दिनांक 07.07.26 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी के निवेदन करने पर 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं दिनांक 10.07.26 को आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी द्वारा जरिए मोबाइल आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी को रिश्वत राशि लेने के लिए कहना जिस पर आरोपी दिगम्बर सिंह पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 30,000 प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि प्राप्ति की सूचना जरिए मोबाइल आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी को देना जिस पर आरोपी प्रदीप सिंह पटवारी द्वारा अपनी सहमति जाहिर करना तथा रिश्वत राशि 30,000 रूपये का आरोपी दिगम्बर सिंह पहनी हुई जींस पेंट की पीछे की दांयी जेब से बरामद का उक्त कृत्य धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपीगण दिगम्बर सिंह पुत्र श्री शिवराम सिंह उम्र 31 साल जाति गुर्जर निवासी बाजीदपुरा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल पटवारी भू प्रबंध कार्यालय जिला भरतपुर एवं प्रदीप सिंह पुत्र श्री भोमपाल सिंह उम्र 43 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम खानखेडा पुलिस थाना बयाना सदर जिला भरतपुर हाल पटवारी भू प्रबंध कार्यालय जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (महेन्द्र सिंह) पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री दिगम्बर सिंह पुत्र श्री शिवराम सिंह, उम्र 31 साल, जाति गुर्जर, निवासी बाजीदपुरा, पुलिस थाना नदबई, जिला भरतपुर हाल पटवारी, भू प्रबंध कार्यालय, जिला भरतपुर एवं 2- श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री भोमपाल सिंह, उम्र 43 साल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम खानखेडा, पुलिस थाना बयाना सदर, जिला भरतपुर हाल पटवारी, भू प्रबंध कार्यालय, जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धोलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 221 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1154-57 दिनांक 13.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/07/2026 16:42:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
2	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)